

बिहार सरकार
वाणिज्य-कर विभाग
कार्यालय, राज्य-कर आयुक्त-सह-सचिव, बिहार, पटना।
कर-भवन, बीर चंद पटेल मार्ग, पटना-800001

पत्रांक: 1650 (अंगु०)

दिनांक: 12/05/26

निविदा आमंत्रण सूचना

1. निदेशानुसार, वाणिज्य-कर विभाग, बिहार, पटना (मु०) के कर भवन में अधिष्ठापित वातानुकूलित यंत्रों के रख-रखाव हेतु एक वर्ष के लिए Comprehensive AMC (Parts कि आपूर्ति के साथ) के लिए इच्छुक सेवाप्रदाता/व्यक्तियों से अल्पकालीन निविदा आमंत्रित कि जाती है। कर भवन में VRV/VRF System Based A.C एवं Split A.C यंत्रें लगी हुई है जिसका विवरण निम्नवत् है:-

(क) VRV/VRF System Based A.C का विवरण।

Sl.no.	Outdoor Unit	Company Name	Total No.
1.	20 HP	Daikin	9
2.	16 HP	Daikin	9
3.	14 HP	Daikin	4
4.	12 HP	Daikin	10
5.	10 HP	Daikin	3

Sl.no.	Indoor Unit	Company Name	Total No.
1.	2.0 TR Wall Mounted Hiwall Unit	Daikin	47
2.	1.59 TR Wall Mounted Hiwall Unit	Daikin	141
3.	3.3 TR Cassette A.C Machines, Indoor type	Daikin	58

(ख) Split A.C का विवरण।

Sl.no.	Split A.C	Company Name	Total No.
1.	1.5 Ton	Daikin	30
2.	1.5 Ton	Blue Star	4
3.	1.0 Ton	Blue Star	2

निविदा प्रक्रिया Two Bid System के अनुसार दो अलग-अलग सीलबंद लिफाफे में प्राप्त किये जायेंगे जिसपर स्पष्ट रूप से क्रमशः तकनीकी निविदा एवं वित्तीय निविदा अंकित होगा। इन दोनों सीलबंद लिफाफे को एक बड़े लिफाफे में रखकर सीलबंद कर निर्धारित समय-सीमा के पूर्व समर्पित करना होगा। निर्धारित समय-सीमा के पश्चात प्राप्त होने वाले किसी भी निविदा पर विचार नहीं किया जाएगा। निविदा की शर्तों में किसी प्रकार के संशोधन अथवा

बिना कारण बताये निविदा को रद्द करने का अधिकार आयुक्त-सह-सचिव, वाणिज्य-कर विभाग, बिहार, पटना के पास सुरक्षित होगा।

निविदा हेतु इच्छुक एजेंसियों से मुहरबंद निविदा समाचार पत्र में निविदा प्रकाशन की तिथि से दिनांक 1.6.26 तक के 5:00 (अपराह्न) बजे तक सभी कार्य दिवसों में कर भवन, वाणिज्य-कर विभाग, बिहार, पटना-800001 के प्रथम तल पर अवस्थित कार्यालय कक्ष संख्या 17 में स्वीकार किया जायेगा। दिनांक-2.6.26 को 3:30 (अपराह्न) बजे तक नीकी निविदा खोली जाएगी। उक्त तिथि को सभी निविदादाता/प्राधिकृत व्यक्ति उपस्थित रहेंगे।

निविदा की आवश्यक शर्तों को वाणिज्य-कर विभाग की वेबसाइट state.bihar.gov.in/biharcommercialtax पर देखा जा सकता है एवं तदनुरूप चयनित फर्म को इसका अनुपालन सुनिश्चित करना आवश्यक होगा।

8/12/26

राज्य-कर अपर आयुक्त (लेखा)
वाणिज्य-कर विभाग,
बिहार, पटना।

तकनीकी निविदा की शर्तें

1. निविदादाता/आपूर्तिकर्ता को अग्रधन के रूप में 50,000 रूपया के बैंक ड्राफ्ट जो राष्ट्रीयकृत वाणिज्यिक बैंको द्वारा निर्गत" उप सचिव, वाणिज्य कर विभाग, पटना" (Dy Sec Commercial Taxes Department, Patna) के पक्ष में देय हो, की मूल प्रति संलग्न करना होगा। बैंक ड्राफ्ट की स्कैन की गई कॉपी मान्य नहीं होगी। अग्रधन की राशि निविदा के साथ प्रस्तुत नहीं किये जाने पर निविदा अस्वीकृत कर दी जायेगी। MSME एवं Startup में पंजीकृत फर्म को उक्त निविदा में अग्रधन जमा करने में छूट ले सकते हैं बशर्ते तत्संबंधी प्रमाण-पत्र की प्रति संलग्न करना होगा। निविदा में असफल निविदादाता का अग्रधन वापस किया जायेगा।
2. निविदादाता/आपूर्तिकर्ता को बिहार GST में निविदा प्रकाशित होने से पूर्व न्यूनतम 1 वर्ष पहले निबंधित होना चाहिए एवं इस अवधि में सभी विवरणी दाखिल एवं कर का भुगतान होना चाहिए। इससे सम्बंधित निबंधन प्रमाण-पत्र एवं अद्यतन विवरणी GSTR-3B की कॉपी संलग्न करनी होगी।
3. AADHAR एवं PAN की स्वअभिप्रमाणित छायाप्रति संलग्न करना होगा।
4. केन्द्र /राज्य सरकार/सरकारी उपक्रम/निगम या किसी भी अन्य संस्थान द्वारा काली सूची में/अथवा किसी आपराधिक मामलों में नाम दर्ज नहीं होने का शपथ-पत्र देना होगा।
5. निविदादाता द्वारा निविदा में दर्शाये गए सभी शर्तों को स्वीकार करने से संबंधित स्वघोषणा-पत्र हस्ताक्षरित संलग्न करना होगा।
6. समरूप मामलों में कार्य करने से संबंधित न्यूनतम एक वर्ष का किसी संस्था द्वारा निर्गत कार्य अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न करना होगा।
7. निविदादाता/आपूर्तिकर्ता को विगत तीन वर्षों का आयकर विवरणी दाखिल करने संबंधित साक्ष्य प्रस्तुत करना होगा।
8. निविदादाता फर्म/कम्पनी का विगत तीन वर्षों का औसत वार्षिक सकल आवर्त न्यूनतम रूपया 60 लाख होना अनिवार्य है। इसके साक्ष्य के रूप में Audit Report/GSTR-9 अथवा अन्य साक्ष्य प्रस्तुत करना होगा।
9. निविदा में भाग लेने वाले निविदादाता को Annexure-A प्रपत्र में सूचनाएँ उपलब्ध कराना होगा।

वित्तीय निविदा की शर्तें

1. तकनीकी निविदा में सफल निविदादाताओं के वित्तीय निविदा को खोलने पर विचार किया जायेगा।
2. निविदा में भाग लेने वाले निविदादाता को Annexure-B प्रपत्र में अपने Comprehensive AMC हेतु 12 माह के लिए दर, सभी कर सहित देना होगा।
3. निविदादाता को OEM (original equipment manufacturer)Authorization पत्र देना होगा।
4. Annexure-B प्रपत्र में निविदादाता का नाम, निविदादाता का पता एवं निविदादाता का मोबाईल नं० के साथ-साथ फर्म का मुहरांकन स्पष्ट रूप से अंकित होना चाहिए।
5. विहित प्रपत्र में उक्त सूचनाओं के साथ स्पष्ट दर अंकित नहीं होने पर उनके निविदा पर विचार नहीं किया जाएगा।
6. अंतिम रूप से चयनित निविदादाता को Contract Value का 5% Performance Security Deposit के रूप में डिमांड ड्राफ्ट (D.D.) के द्वारा, उप सचिव, वाणिज्य कर विभाग, पटना" के नाम से देय, जमा करना होगा।

वार्षिक रख-रखाव (AMC) संबंधी अन्य शर्तें:-

1. निविदादाता तकनीकी निविदा से संबंधित सभी कागजात एक लिफाफा में रखकर उसे सील बंद करते हुए लिफाफा के उपर वातानुकूलित यंत्रों के वार्षिक रख-रखाव (AMC) हेतु तकनीकी निविदा एवं लिफाफा पर बायें तरफ में फर्म का नाम लिखेंगे एवं Annexure-B प्रपत्र में अपना Yearly AMC Rate वर्णित कर इसे एक दूसरे लिफाफा में रखकर सील बंद करते हुए लिफाफा के उपर "वातानुकूलित यंत्रों के वार्षिक रख-रखाव (AMC) हेतु वित्तीय निविदा" एवं लिफाफा पर बायें तरफ में फर्म का नाम लिखेंगे, तत्पश्चात् तकनीकी एवं वित्तीय निविदा का अलग-अलग लिफाफा एक बड़े लिफाफा में डालकर उसे सील बंद करते हुए बड़े लिफाफा के उपर "वातानुकूलित यंत्रों के वार्षिक रख-रखाव (AMC) हेतु निविदा" अंकित करेंगे एवं बड़े लिफाफा के दाहिने तरफ में पता, राज्य कर संयुक्त आयुक्त-सह-निकासी एवं व्यय पदाधिकारी, वाणिज्य कर विभाग, बिहार, पटना एवं बायें साईड में फर्म का नाम अंकित करेंगे।

2. निविदादाता सीलबंद निविदा को दिनांक-1.6.26 के 5:00(अ.प्र.१.१) बजे तक कर भवन के प्रथम तल अवस्थित कार्यालय कक्ष संख्या 17 में रखे Box में जमा करेंगे। निविदा डाक से भी भेजी जा सकती है। निविदादाता द्वारा भेजी अथवा जमा की गई निविदा किसी भी स्थिति में निर्धारित तिथि एवं समय में प्राप्त हो जानी चाहिए। अंतिम तिथि एवं समय के उपरान्त प्राप्त निविदा पर कोई विचार नहीं किया जायगा।
3. निविदादाता द्वारा वाणिज्य-कर विभाग के डाक प्राप्ति शाखा में अंतिम तिथि एवं समय के बाद हाथों-हाथ उपलब्ध कराये गये निविदा पर कोई विचार नहीं किया जायेगा।
4. वाणिज्य-कर विभाग के पास निविदा रद्द करने, नियम एवं शर्तों को बदलने एवं इस निविदा से संबंधित हर तरह के निर्णय लेने का सर्वाधिकार सुरक्षित है।
5. किसी भी तरह का विवाद होने की स्थिति में विवाद का निपटारा पटना जिला स्थित न्यायालय के क्षेत्राधिकार में होगा।
6. सभी कार्य वाणिज्य-कर विभाग के कर भवन में की जायेगी। किसी भी परिस्थिति में वार्षिक रख-रखावकर्ता (AMC Provider) या उसके Technician वातानुकूलित यंत्रों एवं Spare Parts को वाणिज्य-कर विभाग के कर भवन से बाहर नहीं ले जायेंगे। यदि मरम्मत हेतु बाहर ले जाना आवश्यक हो, तब वाणिज्य-कर विभाग के प्राधिकृत प्रतिनिधि द्वारा अनुमति दिये जाने के पश्चात् ही अनुमति पत्र के साथ कोई भी सामान कर भवन से बाहर ले जा सकेंगे।
7. वार्षिक रख-रखाव (CAMC) अनुबंध Spare Parts एवं Accessories के साथ होगा। अर्थात् वातानुकूलित यंत्रों में किसी भी प्रकार की खराबी आने पर उसमें लगने वाले/बदले जाने वाले सभी प्रकार के Spare Parts एवं Accessories वार्षिक रख-रखाव कर्ता को देना होगा जिसका भुगतान अलग से नहीं किया जायेगा।
8. वार्षिक रख-रखाव (CAMC) अनुबंध की अवधि के दौरान एक बार निर्धारित दर को पुनः दर की वृद्धि किये जाने पर विचार नहीं किया जायेगा। सामानों की ढुलाई आदि अन्य कार्यों पर हुए व्यय के लिए अलग से भुगतान नहीं किया जायेगा।
9. सशर्त निविदा पर विचार नहीं किया जायेगा। साथ ही निर्धारित समय-सीमा के पश्चात् प्राप्त निविदा पर भी विचार नहीं किया जायेगा।
10. इस निविदा की पुरी प्रक्रिया के लिए बिहार खरीद अधिमानता नीति 2024 के सभी प्रावधान लागू होंगे।

11. सेवाप्रदाता द्वारा संतोष जनक कार्य किये जाने पर CAMC का आगे विस्तार करने पर विचार किया जा सकता है। परन्तु उक्त अनुबंध को बिना कारण बताये विभाग द्वारा कभी भी समाप्त किया जा सकता है।

भुगतान (Payment)

1. किसी भी परिस्थिति में अग्रिम भुगतान नहीं किया जायगा।
2. वार्षिक रख-रखावकर्ता (AMC Provider) प्रत्येक 03 माह पर आनुपातिक दर पर विपत्र भुगतान हेतु प्रस्तुत करेंगे।
3. TDS की कटौती के पश्चात् ही राशि का भुगतान किया जाएगा।
4. अनुबंध की अवधि में वातानुकूलित यंत्रों की संख्या बढ़ने या कम होने पर तदनुसार भुगतान किया जायगा।
5. उपकरणों के टैक्स ड्यूटी एवं मूल्य बढ़ने अथवा कमी होने पर CAMC का दर अनुबंध अवधि में प्रभावित नहीं होगा। ऐसे दावे का भुगतान नहीं किया जाएगा।
6. सफल निविदादाता को विभाग के प्राधिकृत पदाधिकारी के साथ CAMC संबंधी एकरारनामा किया जाना होगा।
7. सफल निविदादाता द्वारा यह कार्य Sub Contractor को या अन्य किसी व्यक्ति को Sub Contract नहीं किया जायेगा।

वार्षिक रख-रखावकर्ता (AMC Provider) के दायित्व एवं कर्तव्य:-

1. वाणिज्य-कर विभाग, बिहार, पटना के कर भवन में अधिष्ठापित वातानुकूलित यंत्रों का रख-रखाव का कार्य करना होगा।
2. संविदा के अनुरूप वार्षिक रख-रखावकर्ता (AMC Provider) गुणवत्ता पूर्ण सेवा दिये जाने पर सहमत होंगे।
3. संबंधित वार्षिक रख-रखावकर्ता को वातानुकूलित यंत्रों के जानकार एवं विशेषज्ञ व्यक्ति को कार्यालय में प्रतिनियुक्त करना होगा ताकि ऐसे खराबी को कार्यालय कार्य अवधि में तथा आकस्मिक स्थिति में ठीक कर सके।
4. असंतोषजनक कार्य पाये जाने अथवा एकरारनामे के नियम एवं शर्तों का अनुपालन नहीं किये जाने पर तत्काल एकरारनामे को रद्द किये जाने का अधिकार सक्षम प्राधिकार को होगा और उनके द्वारा लिया गया निर्णय अंतिम एवं बाध्यकारी होगा।

5. Breakdown या Exigency की स्थिति में सूचित किये जाने पर अविलम्ब वार्षिक रख-रखावकर्ता (AMC Provider) अवकाश के दिनों में या कार्यालय अवधि के पश्चात् भी अविलम्ब मरम्मत का कार्य संपन्न कराना सुनिश्चित करेंगे।
6. वार्षिक रख-रखावकर्ता (AMC Provider) Spare Parts का समुचित Stock अपने पास रखेंगे ताकि मरम्मत का कार्य बिना किसी देरी के संपन्न किया जा सके।
7. वार्षिक रख-रखावकर्ता (AMC Provider) एक लॉग बुक का संधारण करेंगे जिसमें Repairing/Servicing से संबंधित सभी कार्यों का ब्यौरा उनके द्वारा अंकित किया जाएगा एवं उस पर वाणिज्य-कर विभाग में प्राधिकृत प्रतिनिधि से हस्ताक्षर प्राप्त करेंगे।
8. वार्षिक रख-रखावकर्ता (AMC Provider) या उनके Technician द्वारा वाणिज्य-कर विभाग में अधिष्ठापित किसी भी सामान को खराब करने या नुकसान पहुँचाने की स्थिति में इसके लिये वार्षिक रख-रखावकर्ता पूर्णरूपेण जिम्मेवार होंगे एवं नुकसान की पूर्ण भरपाई उनके द्वारा किया जायेगा।
9. वार्षिक रख-रखावकर्ता (AMC Provider) के साथ किये गये एकरारनामा को किसी भी समय 15 दिनों की सूचना देकर रद्द करने का सर्वाधिकार वाणिज्य-कर विभाग के पास सुरक्षित है एवं रद्द किये जाने की तिथि तक का ही विपत्र का भुगतान किया जायेगा।
10. उपर्युक्त कंडिकाओं के अनुसार सर्विसिंग/रिपेयरिंग कार्य नहीं संपन्न किये जाने पर सर्विसिंग/रिपेयरिंग का कार्य विभाग द्वारा किसी अन्य Technician से करवाया जाएगा एवं इस पर आने वाले खर्च की कटौती वार्षिक रख-रखावकर्ता (AMC Provider) को भुगतान किये जाने वाले वार्षिक रख-रखावकर्ता की राशि में से की जाएगी एवं राशि की कटौती करके विपत्र का भुगतान किया जाएगा।

Annexure-A

वातानुकूलित यंत्रों के वार्षिक रख-रखाव हेतु तकनीकी निविदा का प्रपत्र

क्र.सं.	संलग्न किये जाने वाले कागजात	पृष्ठ संख्या
1.	2.	3.
1.	निविदादाता के कम्पनी/फर्म का निबंधन प्रमाण-पत्र (यथा Shop & Establishment Act/Companies Act) के अंतर्गत निबंधन संख्या।	
2.	GST निबंधन का प्रमाण-पत्र एवं अद्यतन GST Return, GSTR-3B की कॉपी।	
3.	Aadhar & Pan Card की स्वअभिप्रमाणित छायाप्रति।	
4.	विगत तीन वर्षों का आयकर रिटर्न दाखिल करने संबंधित साक्ष्य।	
5.	काली सूची में दर्ज नहीं होने संबंधी शपथ पत्र।	
7.	उप सचिव, वाणिज्य-कर विभाग, पटना (Dy Sec Commercial Taxes Department, Patna) के नाम से देय, 50,000/- (पचास हजार रुपये) का डिमांड ड्राफ्ट Earnest Money Deposit के रूप में।	
8.	सभी समर्पित कागजात के सत्य होने का स्वघोषणापत्र।	
9.	विगत तीन वर्षों का Average Annual Turn Over से सम्बंधित साक्ष्य यथा -GSTR-9/ Audit Report व अन्य साक्ष्य।	
10.	विगत एक वर्ष का किसी संस्थान से निर्गत अनुभव प्रमाण-पत्र।	

- नोट:- 1. सभी कागजात की स्वअभिप्रमाणित प्रति संलग्न करना है।
2. सभी कागजात पर क्रमबद्ध पेज संख्या अंकित होना चाहिए।

निविदाता का पूर्ण नाम :-

एजेंसी/फर्म का नाम :-

मोबाईल नं. :-

ई-मेल आई.डी. :-

निविदाता का पूर्ण हस्ताक्षर एवं तिथि :-

मुहर :-

.....
.....
.....
.....
.....
.....

Annexure-B

वातानुकूलित यंत्रों के वार्षिक रख-रखाव हेतु वित्तीय निविदा का प्रपत्र।

Sl. No.	Name of the Bidder	Comprehensive Annual Maintenance Contract Rate with Parts for 12 Months Inclusive of all Taxes
1.	2.	3.

निविदादाता का नाम

एजेंसी/फर्म/कम्पनी का नाम

निविदादाता का मोबाईल नं॰ एवं ई-मेल आइ॰डी॰

तिथि—

निविदादाता का हस्ताक्षर

मुहर